संख्या 1/1/2007-डीसीएच/डब्ल्यू/एच डब्ल्युसीडब्ल्यूएस

Xi वीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात् 2007-08 से 2011-12 तक) के दौरान महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश

परिचय

भारत सरकार ने दिसम्बर, 2003 में बुनकर बीमा योजना शुरु की थी जो जनश्री बीमा योजना और एड-आन समूह बीमा योजना का संयुक्त रुप है । यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही थी । वर्ष 2005-06 से इस योजना को संशोधित किया गया और इसे महात्मा गांधी बुनकर योजना के संशोधित रुप में कार्यान्वित किया गया है ।

xi वीं योजना के दौरान महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना को बड़ाए गए लाभों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा । यह योजना वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए कार्यान्वित रहेगी ।

उद्देश्य

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का मूल उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घना में मृत्यु होने की स्थिति में तथा पूर्ण एवं आंशिक नि:शक्तत्ता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है ।

पात्रता

योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए बुनकर को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी:-

- बुनकर हथकरघा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत अर्जित करता हो ।
- 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के सभी बुनकर चाहे वे महिला हों या पुरुष इस योजना के तहत शामिल किए जाने के पात्र हैं । इसमें अल्पसंख्यक, महिला बुनकर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनकर भी सम्मिलित हैं ।
- इस योजना में राज्य हथकरघा विकास निगमों/शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के बुनकर कवर किए जाएंगे । सहकारी समितियों से बाहर के बुनकर भी इस योजना के तहत शामिल किए जा सकते हैं परंतु उन्हें अपनी पात्रता शर्ते पूरी करने के संबंध में हथकरघा राज्य निदेशक प्रभारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

- हथकरघा राज्य प्रभारी निदेशक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उन बुनकरों की पात्रता का सत्यापन करें जिन्हें लाभ दिए जाने के लिए योजना के तहत प्रस्तावित किया गया है ।
- योजना को कार्यान्वित करते समय यह सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य प्रभारी निदेशक और एलआईसी का होगा कि महिला बुनकरों, अल्पसंख्यकों से संबंधित बुनकरों तथा पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम) के बुनकरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

प्रशासन

राज्य में हथकरघा प्रभारी बुनकरो के बीमा कवरेज को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अंतिम रुप देंगे ।

बीमा कवरेज की मुख्य बातें:-

1. यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जाएगी ।
2. राज्य में हथकरघा प्रभारी प्राधिकारी बुनकरों के सीमा कवरेज को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अंतिम रुप देंगे ।

लाभ

क्रम सं.		1,10,07 से लाभ
1.	स्वाभाविक मृत्यु	60,000/-रुपये
2.	दुर्घटना के कारण मृत्यु	1,50,000/-रुपये
3.	पूर्ण नि: शक्तता	1,50,000/-रुपये
4.	आंशिक नि:शक्तता	75,000/-रुपये

प्रीमियम

330 रुपये प्रति सदस्य की वार्षिक प्रीमियम निम्नलिखित रुप में दी जाएगी ।

भारत सरकार का अंशदान	150/-रुपये
बुनकरों का अंशदान	80/-रुपये
भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान	100/-रुपये
कुल प्रीमियम	**330/-रुपये**

प्रचालनात्मक क्रियाविधि

योजना का प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाएगा और कवरेज को जारी रखना नवीनीकरण की निश्चित तारीख को प्रीमियम का भुगतान करने पर ही सुनिश्चित किया जाता है । प्रीमियम की राशि पूरे वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को लाभार्थी द्वारा एक बार दी जाएगी । योजना 1.10.2007 से प्रभावी होगी

एक बार दी गई प्रीमियम वापस नहीं की जाएगी ।

प्रत्येक वर्ष अधिकतम नवीकरण के मामले लिए जाएंगे । सामान्यतया बीमा कवरेज प्रीमियम की संपूर्ण राशि अर्थात् सरकार और लाभार्थी दोनों के अंश, की प्राप्ति के पश्चात् लागू होता है । किसी असंभावित स्थिति में जहां सरकार का प्रीमियम अंश तैयार नहीं है, भारतीय जीवन बीमा निगम लाभार्थी के अंश को स्वीकार करेगा और तदनुसार कवरेज लागू करेगा ।

योजना के क्रियान्वयन के लिए हथकरघा और वस्त्र के राज्य निदेशक प्रभारी कार्यालय तथा इस फील्ड में उसके अधीनस्थ कार्यालय नोडल एजेंसियां होंगी । बीमा कवर से संबंधित सभी मामलों में नोडल एजेंसी बीमाकृत सदस्यों के लिए और उनकी ओर से कार्य करेगी । योजना के तहत अधिकतम बुनकर कवरेज के लिए लाभार्थियों की पहचान, फार्म भेजने, अनुदेश आदि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम हथकरघा के राज्य निदेशक प्रभारी के संपर्क में रहेगा ।

एक प्रत्याशित लाभार्थी को अपना आवेदन-सह-नामांकन पत्र भरना होगा और उसे अपने प्रीमियम के शेयर के साथ नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन का प्रारुप भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नोडल एजेंसी को उपलब्ध करवाया जाएगा । चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और इस प्रयोजन के लिए स्वयं का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा ।

उपर्युक्त के प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी आवेदन पत्र की जांच करेगी और पात्र पाए जाने पर प्रीमियम की राशि स्वीकार करेगी और इन लाभार्थियों की सूची के साथ-साथ प्रीमियम की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजेगी ।

नोडल एजेंसी की स्थिति में संबंधित नामित व्यक्ति/लाभार्थियों की सूची के साथ प्रीमियम की राशि प्राप्त होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम योजना के तहत शामिल किए गए सभी बुनकरों को कार्ड/प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसे इस तरह से बनाया जाएगा कि नवीनीकरण की तारीख/माह का भी उसमें उल्लेख हो । कार्ड देशी भाषा में होना चाहिए । इससे भारतीय जीवन बीमा निगम से अपनी बकाया राशि का दावा कर पाएंगे ।

मृत्यु या अपंगता की स्थिति में संबंधित नामित व्यक्ति/लाभार्थी अपने दावे को अपेक्षित दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र/शव परीक्षण रिपोर्ट/चिकित्सा प्रमाण पत्र/छुट्टी प्रमाण पत्र/अन्य दस्तावेज जो भी लागू हों, सहित नोडल एजेंसी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को

प्रस्तुत करेगा । नोडल एजेंसी दावे प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम को दावा भेजेंगी । भारतीय जीवन बीमा निगम दावे प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर दावे को निपटाएगा और राशि का भुतान लाभार्थी /नामित व्यक्ति को नोडल एजेंसी के माध्यम से सीधे खाता आदाता चैक(नोडल एजेंसी को सूचित करते हुए) द्वारा करेगा ।

लाभार्थी द्वारा दूसरे वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने पर बीमा कवर स्वत: बंद हो जाएगा । तथापि, अपेक्षित प्रीमियम का भुगतान करने पर अगले वर्ष में योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थी स्वतंत्र होगा ।

यदि हथकरघा बुनकर बीमा-अवधि के दौरान एक समिति या निगम से दूसरी समिति अथवा निगम में अपना रोजगार बदल देता है तो वह योजना के लाभार्थी के रुप में नोडल एजेंसी को सूचित करेगा ।

राज्य सरकारों और राज्य हथकरघा निगमों-शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/संघों को योजना में शामिल होने के लिए समाचार पत्रों और अन्य प्रचार माध्यमों में विज्ञापन देकर हथकरघा बुनकरों को सुग्राही बनाकर योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रुप से जोड़ा जाएगा ।

नोडल एजेंसियां कवरेज के विरण एवं दावों का निपटान दर्शाते हुए आवधिक रिपोर्ट विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगी ।

अतिरिक्त लाभ:

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में अभिभावक के बच्चों को छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जो इसकी शिक्षा योजना के तहत दी जाती है ।

9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले या 12वीं कक्षा पूर्ण करने तक इनमें से जो भी पहले हों, प्रति छात्र को 300 रुपये प्रति तिमाही की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी । छात्रवृत्ति शैक्षिक वर्ष जून से मई के लिए दी जाएगी ।

योजना में कवर सदस्य के 2 बच्चों को लाभ प्राप्त होगा । लिंग आधारित भेदभाव के बिना दोनों बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए कवर किया जाएगा ।

यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है और उसी श्रेणी में पुन: रखा जाता है तो उसे उस श्रेणी में अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का लाभ नहीं प्राप्त होगा । यह सुनिश्चित किया जाए कि महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना-शिक्षा सहयोग योजना के तहत लाभ प्राप्त बुनकर समुदाय के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को आगे लाए जाने की जरुरत है ताकि अन्य बुनकर परिवारों के बच्चे उनसे प्रेरणा लें ।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत सदस्य के रुप में एक व्यक्ति को शामिल कर लिए जाने पर योजना के तहत लाभार्थी के चयन के समय आगे आय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं है ।

छात्रवृत्ति धारक के माता-पिता को या नोडल एजेंसी को प्रीमियम की राशि नहीं देनी होगी। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत शामिल माता-पिता के बच्चों को यह अतिरिक्त लाभ दिया गया है । ऐसे मामलों में यदि महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत वार्षिक नवीनीकरण की तारीख को प्रीमियम नहीं दिया जाता है तो बच्चा छात्रवृत्ति के लिए पात्र नही होगा ।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत शामिल किए गए सदस्यों मे से शिक्षा सहयोग योजना के लिए लाभार्थियों का चयन किया जाता है । किसी राज्य के लक्षित लाभार्थी छात्रों को उस राज्य में शामिल व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत शामिल किए गए सदस्यों में विभाजित किया जा सकता है । अंतिम चयन गरीबों में सबसे गरीब के मानदंडों के आधार पर किया जाएगा क्योंकि छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित है और लिंग भेद के बिना है ।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के जिस सदस्य का बच्चा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, वह (नोडल एजेंसी से उपलब्ध) एक आवेदन प्रपत्र भरेगा और उसे नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगा । विधिवत भरे और प्रमाणित आवेदन पत्र नोडल एजेंसी द्वारा दात्रों की सूची सहित शिक्षा सहयोग योजना के तहत छात्रवृत्ति के वितरण के लिए संबंधित एल आई सी (LIC) पी एंड जी (P&G S) यूनिट को भेजी जाएगी । छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को संबंधित नोडल एजेंसी के माध्यम से दी जाएगी ।

एल आई सी लाभार्थी छात्रों की सूची सहित नोडल एजेंसी के नाम खाता आदाता चैक भेजेगा जो वह इस छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों को देगा । नोडल एजेंसी को रिकार्ड का रख-रखाव करना है और उपयोगिता प्रमाण पत्र आवधिक रुप में एल आई सी , पी एंड जी एस यूनिट को भेजने होंगे ।

दावा प्रक्रिया

मृतक सदस्य के लाभार्थी को मूल रुप से मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो दावों संबंधी कागजातों सहित उसे एल आई सी अर्थात् बीमा सुरक्षा को मूल रुप से अंतिम रुप देने वाली शाखा को भेजने की व्यवस्था करेगा । एल आई सी सीधे लाभार्थी को खाता आदाता चैक भेजकर दावों का निपटान करेगा, यद्यपि वह संबंधित राज्य सरकार और हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय को इसकी सूचना दी जाएगी । दुर्घटना से संबंधित दावों के मामले में पुलिस जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी होगी । विस्तृत प्रक्रिया एल आई सी की सामाजिक सुरक्षा समूह योजनाओं की प्रक्रिया की तर्ज पर होगी ।

निधियां जारी करना

निधियां जारी करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम तथा राज्य में हथकरघा प्रभारी प्राधिकारी महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत कवर किए जाने वाले बुनकरों की पहचान करेगा । भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय अपने प्रीमियम अंश को योजना के तहत कवर किए जाने वाले हथकरघा बुनकरों की संख्या के आधार पर अग्रिम रुप से सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम को जारी करेगा । धनराशि जारी करने के लिए पश्चातवर्ती प्रत्येक निवेदन के साथ किए गए दावे और निपटाए गए दावे के बारे में बीमा कंपनी के कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी अवश्य लगाई जानी होगी । केन्द्रीय सरकार का प्रीमियम अंश सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम को जारी किया जाएगा।

मानिटरन एवं मूल्यांकन

इस योजना की प्रगति का मानीटरन एवं मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा जो तिमाही वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय को भेजेंगी ।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में हथकरघा राज्य निदेशक/आयुक्त प्रभारी तथा जिला स्तर पर हथकरघा के सहायक निदेशक से एक बैठक आयोजित करेगा । भारतीय जीवन बीमा निगम अग्रिम रुप में अपने दावा विभाग से उस राज्य से संबंधित आंकड़े प्रदान करने की व्यवस्था करेगी ।

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय अपने फील्ड कार्यालय तथा समय-समय पर राज्य सरकारों और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैठक आयोजित करके प्रगति का मानीटरन करेगा ।

इस योजना का मूल्यांकन ग्यारहवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन पर किया जाएगा ।

(बी.के. सिन्हा)
ह०/-
विकास आयुक्त (हथकरघा)
दूरभाष: 2306 2945
और 2306 3684